कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सुलतानपुर

प्रकीर्ण आदेश संख्या– 69/2021

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्रांक– 1945/LXXXVII-CPC/e -courts/Allahabad दिनॉकित– 22.04.2021 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में पूर्व में पारित प्र ाासनिक आदेश संख्या–96/2021 दिनॉकित–05.04.2021 प्रशासनिक आदेश संख्या–118/ 2021 दिनॉकित–16.04.2021 एवं 119/2021 दिनॉकित–16.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये दिनॉक–24.04.2021 से अग्रिम आदेश तव परिवार न्यायालय,सुलतापुर में सीमित न्यायिक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायालय कार्य करेंगे:–

1–अपर प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर तृतीय दिनॉक–03.05.2021 से दिनॉक–07.05.2021 तक अपने न्यायालय का कार्य करेंगे।

2–अपर प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय चतुर्थ दिनॉक–10.05.2021 से दिनॉक–13.05.2021 तक अपने न्यायालय का कार्य करेंगे।

परिवार न्यायालय के कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे तक रहेगी। अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही उनका न्यायिक कार्य पूर्ण हो जाय, वे न्यायालय परिसर छोड़कर जा सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय सुलतानपुर हेतु एक अधिकृत ईमेल आईडी dcsultanpur@gmail.com तैयार किया गया है। उक्त ईमेल–आईडी का प्रयोग जमानत प्रार्थनापत्र,अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं अन्य आवश्यक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थनापत्रों में अधिवक्ता/ वादीकारी द्वारा पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आर्डडी सहित दिया जायेगा। कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे प्रार्थनापत्रों को डाउनलोड करके उनकी सूची तैयार करेगा। कम्प्यूटर अनुभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्रों में यदि कोई तटि पायी जाती है तो इसकी तत्काल सम्बन्धित अधिवक्ता/ वादकारी को दी जायेगो।

न्यायालय परिसर में ऐसे अधिवक्ता प्रवेश करेंगे जिनके मामले उस तिथि पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होंगे। सुनवाई/ बहस पूर्ण होने के पश्चात वह न्यायालय परिसर से तुरन्त बाहर निकल जायेंगे। उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष/ सचिव, बार एसोसिएशन सुलतानपुर से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त सूचना अपने स्तर से समस्त अधिवक्तागण के मध्य परिचालित करें। न्यायालय परिसर में वादकारीगण का प्रवेश सख्त रूप से वर्जित है। **वे ही वादकारीगण न्यायालय में प्रवेश करेंगे जिनकी उपस्थिति न्यायालय आवश्यक समझेगा। ऐसे अधिवक्ता/ वादकारीगण कोविड–19 (RT-PCR) की जॉच रिपोर्ट के साथ ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे,तथा उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु 33ःप्रतिशत कर्मचारी की ही उपस्थिति न्यायालय परिसर में होगी।**

मुंसरिम को आदेशित किया जाता है कि वह अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे। परिवार न्यायालय सुलतानपुर माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक **प्रत्येक शनिवार व रविवार को बन्द रहेगा।**

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1941 / **LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad** दिनॉकित–05.04.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद केपत्रांक–1944 / **LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad** दिनॉकित–14.04.2021 के अनुपालन में इस पारिवारिक न्यायालय के पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेशों में दिये गये शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय
सुलतानपुर

दिनॉक–23.04.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी अमेठी।
3. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, अमेठी
5. कारागार अधीक्षक,सुलतानपुर।
6. अधीक्षक जिला कारागार, सुलतानपुर।
7. बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
8. बार एसोसिएशन, कादीपुर।
9. बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
10. जिला शासकी अधिवक्ता सिविल,सुलतानपुर।

11– सिस्टम आफीसर,कम्प्यूटर सेन्टर,सुलतानपुर को जनपद न्यायालय की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

12. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

23/4/21

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
सुलतानपुर।
दिनॉक–23.04.2021